

कुलभूषण जाधव मामला

चर्चा में क्यों?

पाकिस्तान ने भारत से कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा के संदर्भ में [अंतरराष्ट्रीय न्यायालय](#) (ICJ) के फैसले को लागू करने हेतु वकील नयिक्त करने का आग्रह किया है

प्रमुख बिंदु:

कुलभूषण जाधव मामला:

- कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।
- भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुँच सुनिश्चित करने (वयिना कन्वेंशन) से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने पाकिस्तान के नरिणय के खिलाफ ICJ में संपर्क किया।
- ICJ ने जुलाई 2019 में अपना नरिणय सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा और दोषसद्धि की प्रभावी समीक्षा और पुनर्वचिार करना चाहिये तथा बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुँच प्रदान करनी चाहिये।
 - इसने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को दी गई सजा के खिलाफ अपील के लिये एक उचति मंच प्रदान करने के लिये कहा था।

भारत के लिये 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्वचिार' के नहितारथ:

- प्रभावी समीक्षा और पुनर्वचिार सामान्य समीक्षा से अलग है।
- इसमें राजनयिक पहुँच प्रदान करना और अपने बचाव हेतु जाधव की मदद करना शामिल है।
- इसका मतलब है कि पाकिस्तान को आरोपों का खुलासा करना होगा और उन साक्ष्यों को भी प्रस्तुत करना होगा जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।
- पाकिस्तान को उन परसिथितियों का भी खुलासा करना होगा जिनमें जाधव का कबूलनामा सेना द्वारा लिये गया था।
- तात्पर्य यह है कि जो भी फोरम या अदालत जाधव के मामले की सुनवाई करती है, उसे अपना बचाव करने का अधिकार होगा।

वयिना कन्वेंशन:

- राजनयिक संबंधों पर वयिना कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को परभाषति करती है।
 - एक राजदूत (जो एक राजनयिक नहीं है), कसिी मेज़बान देश में एक वदिशी राज्य का प्रतनिधि होता है, जो अपने देशवासियों के हतियों के लिये काम करता है।
- वयिना कन्वेंशन के अनुच्छेद-36 में कहा गया है कि मेज़बान देश में गरिफ्तार या हरिसत में लिये गए वदिशी नागरिकों को उनकी गरिफ्तारी की सूचना दिये बिना उनके दूतावास या वाणजिय दूतावास को बिना देरी के नोटसि दिये जाना चाहिये।
- यदा हरिसत में लिये गया वदिशी नागरिक ऐसा अनुरोध करता है, तो पुलसि को दूतावास या वाणजिय दूतावास को उस नोटसि को फैंक्स करना चाहिये, जसिके द्वारा हरिसत में लिये गए व्यक्ता का सत्यापन कयि जा सकता है।
 - दूतावास को यह नोटसि एक फैंक्स के माध्यम से सरलतम रूप में दिये जा सकता है, जसिमें व्यक्ता का नाम, गरिफ्तारी का स्थान और यदा संभव हो तो गरिफ्तारी या हरिसत के कारणों के बारे में बताया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

- ICJ संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्रमुख न्यायिक संगठन है। यह वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापति कयि गया था और इसने वर्ष 1946 में स्थायी न्यायालय के अंतरराष्ट्रीय न्यायिक उत्तराधिकारी के रूप में काम करना शुरू कयि।
- यह सदस्य देशों के बीच कानूनी वविादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं अधिकृत वशिषिट एजेंसियों को सलाहकारी राय देता है।
- भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी अप्रैल 2012 से ICJ के सदस्य हैं।
- ICJ नीदरलैंड के हेग के पीस पैलेस में स्थित है।

स्रोत- द हद्द

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/kulbhushan-jadhav-case-1>

